

27

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR (57)/2014 - 654

Dated: 19/9/17

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0-03-75 hecter of forest land proposed to be diverted in favour of Naib Tehsildar Jalog Sub- Tehsil Jalog District Shimla for Construction of Revenue Training Center at Jalog (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Shimla-Rural Forest Division.

It is further certified that:-

- 369
Dairy No. 4-10-17
Dated 4/10/17
- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-03-75 hecter of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 21
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implication. In vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha is enclosed as annexure 1 to annexure 2
- (d) the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (h) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (c) of FRA

Encl: As above

(Rohar Chand Thakur)
District Collector
Shimla District (H.P.)

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

ANNEXURE-IV

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 11-09-2017 at 4.00 P.M. at Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha Ogli claiming rights in Village Ogli forest area(s) 0-03-75 hect. under FRA,2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Shimla-Rural were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
--Nil--			

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-


Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
--Nil--			
OR			

As informed by SDO (Civil) Shimla-Rural, no application was received from Gram Sabha claiming right in 0-03-75 hect. forest area.

Place: Shimla

Date: 11-09-2017

Deputy Commissioner-Cum- Chairman



①

PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHT COMMITTEE HELD ON 11-09-2017 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI Rohan Chand Thakur, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

At the very outset the Addl. District Magistrate (L&O) welcomed all the members of the committee and a total cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Committee placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussion following decision were taken.

All the cases which were placed before the committee have been approved to be processed under FCA.

The meeting ended with vote of thanks.

(Sharma)
11.9.17

(Legu)
11/9/2017

Sub-Divisional Magistrate (R)
Shimla
21/9/2017

(Sharma)
Shakti Anwar
DFO Theog

(Sharma)

(Sharma)
DFO Rohru

(Sharma)
Deputy Commissioner-Cum-Chairman
District Level Forest Right Committee
Shimla District Shimla, H.P.

30

②

(Office of the Sub- Divisional Officer (Civil), Shimla (R) District Shimla (HP)

Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Right Act (FRA) 2006.

A Meeting of the Sub Divisional Committee of Shimla Rural Sub Division, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/of **Sh Bhupender Kumar Attri**, SDO (Civil) Shimla Rural on **22/07/2017 at 02-00 AM/PM** at Shimla (Place) in which the applications submitted by applicants/Department of Naib-Tehsildar, Jalog, District Shimla. As discussed and recommended the same is to District Level Committee for approval.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and recommended for admission to District level admitted:

S. No.	Name of Applicant	Name of forest	Detail of forest Right
1.	No Clame from anybody has been received	UPF Ogli	Construction of Revenue Training Centre at Sub Tehsil, Jalog area 0-03-75 Hect.

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S. No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	-	-	-
2.			

OR

As informed by _____ Gram Sabha on application was received claiming rights in _____ forest area.

Place: Shimla

Date: 22/07/2017


SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson

Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा वन अधिकार समिति जालोग (ठारू)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या (5)

दिनांक 21/10/2021

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा गांव जालोग (ठारू) की बैठक आज दिनांक 21/10/2021 को 11.45 AM बजे स्थान जालोग ठारू में श्री/ श्रीमति मुनेश कुमार जी

की अध्यक्षता में की गई जिसमें गांव ठारू 10/10 गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत U-13 सम्मा-ओगली जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें राजस्व विभाग द्वारा Revenue Training Center at ssk के निर्माण के लिए 00-03-75 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क0सं0

1
2

*पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम
प्रतिलिपि सर्वगम है।

वन अधिकार का व्यौरा

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क0सं0

1
2

*पात्र गांव वासी का नाम

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान ओगली ठारू जालोग
दिनांक 21/10/2021

उमेश कुमार Umila
ग्राम वन अधिकार समिति
ग्राम ठारू, तह. सुनी, जिला शिमला

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

* प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....
प्रतिलिपी प्रस्ताव

वन अधिकार समिति (ठर) जेलाग

प्रस्ताव संख्या (5)

दिनांक.....

ग्राम सभा वन अधिकार समिति जेलाग (ठर) की बैठक आज दिनांक 21/10/2021 को 11.45 A.M. बजे स्थान जेलाग में श्री/ श्रीमति मुकेश कुमार की अध्यक्षता में की गई जिसमें गांव जेलाग (ठर) गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत U-13 Suma ogli जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें राजस्व विभाग द्वारा Rev. Training Center at Jelag के निर्माण के लिए हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०

1

2

*पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम
प्रतिलिपि मलंग हा

वन अधिकार का व्यौरा

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०

1

2

*पात्र गांव वासी का नाम

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार..... जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान जेलाग ठर
दिनांक 21/10/2021

मुकुंद कुमार सचिव
अधीकृत वन अधिकार समिति
ग्राम सभा, ग्राम पंचायत ओंगली
तह. सुनी, जिला शिमला

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

ग्राम सभा ग्राम पंचायत ओगली
विकास खण्ड बसन्तपुर जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 21/10/2021

प्रस्ताव संख्या (3)

गणपूर्ति 187 / 365

विषय: राजस्व विभाग/संस्था को निर्माण Revenue Training Center at
Jalog के निर्माण हेतु U-13 सुम्मा - ओगली जंगल/ वन क्षेत्र
में प्रस्तावित हैक्टयर वन भूमि के उपयोग
की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा ग्राम पंचायत ओगली की बैठक आज दिनांक 2-10-2021 को 11:45 AM बजे, स्थान ग्राम पंचायत ओगली में की गई, जिसमें U-13 सुम्मा - ओगली
राजस्व विभाग/संस्था को Training Center के निर्माण हेतु U-13-Summa-Ogli
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 00-03-75 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के
लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली है तथा प्रस्तावित 00-03-75 हैक्टयर वन भूमि को Training Center निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा ग्राम पंचायत ओगली की सहमति दी जाती है।

स्थान ओगली
दिनांक 21/10/2021

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा.....

Uemilg

प्रधान सचिव
ग्राम वन अधिकार समिति
गांव ठाक, ग्राम पंचायत ओगली
तह. सुन्नी, जिला शिमला

कुमेश कुमार

सचिव
ग्राम पंचायत ओगली
विकासखण्ड बसन्तपुर
सुन्नी, जिला शिमला (हि.प्र.)

प्रधान ग्राम पंचायत ओगली
बसन्तपुर
शिमला (हि0प्र0)

307 34

कार्यालय ग्राम पंचायत ओगली विकास खंड बसन्तपुर

eमेलId ogli.bpur@gmail.com

आज दिनांक 05/02/2017 को ग्राम पंचायत ओगली की ग्राम सभा बैठक प्रधान श्री मती विध्या शाण्डिल जी अध्यक्षता में आयोजित हुई ! उपस्थिति कोरम पूर्ण 125/365 रही, निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई !

प्रस्ताव सं(10) प्रस्तावित ट्रेनिंग सेंटर(राजस्व) जलोग के भवन निर्माण के लिए भूमि स्थान्तरित हेतु

अनापति प्रमाण पत्र बारे विचार विमर्श

उपरोक्त प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा उपरान्त प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रस्तावित ट्रेनिंग सेंटर(राजस्व) जलोग के भवन निर्माण के लिए निर्मित करने पर पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है व जिस भूमि से यह भवन का निर्माण किया जा रहा है वहां पर कोई भी श्मशानघाट, बावड़ी, धार्मिक स्थल व अन्य जलस्त्रोत आदि नहीं है अतः विभाग से अनुरोध है कि उक्त भवन के कार्य को शीघ्र आरम्भ कर पूर्ण किया जाए ताकि जनता को इस सुविधा का लाभ मिल सके ! इस ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण से क्षेत्र के हजारों लोगों को लाभ होगा ! प्रस्ताव तहसीलदार सुनी/नायब तहसीलदार जलोग व सहायक अभियंता लोक निर्माण उपमंडल जलोग जिला शिमला की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है !

प्रस्ताव सर्वमान्य व स्वीकार्य है व आगामी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है

प्रधान /सचिव ग्राम पंचायत ओगली



PRADHAN

GRAM PANCHAYAT

SECY

05/02/17

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006

ग्राम सभा... ओगली

विकास खण्ड... बसन्तपुर

जिला... शिवगढ़... हि0प्र0

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक... 05-02-2017

गणपूर्ति... 185/365

प्रस्ताव संख्या... (7) 85

विषय... Revenue Dept. विभाग संस्था को प्रस्तावित Revenue Training Center
के निर्माण हेतु U-13 Summa-ogli जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित...
00-03-75 ha. हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा... ओगली की बैठक आज दिनांक 5-2-2017 को 11:45

बजे स्थान 11:45 (ओगली) में की गई जिसमें Summa-ogli जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित...
00-03-75 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम पंचायत की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अर्न्तगत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अर्न्तगत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है/कर ली है तथा प्रस्तावित 00-03-75 हैक्टेयर वन भूमि को Rev. Training Center निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा... ओगली की सहमति दी जाती है।

स्थान... ओगली

दिनांक... 5/2/2017

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा



PRADHAN

GRAM PANCHAYAT, BASANTPUR, SHIVGARH

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006

ग्राम सभा....3.11.2016...

प्रतिलिपि प्रस्ताव

पंचायत...5.12.16... में श्री/श्रीमति..... की अध्यक्षता में की गई जिसमें...जंगल (ठार) सुन्ना
जंगल... गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम
2006 के अन्तर्गत...U-13 Summa ogle जंगल/ वन क्षेत्र में(जिसमें.....विभाग द्वारा Revenue Training Centre के
निर्माण के लिए 80-03-75 हैक्टेयर वन भूमि प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम सभा की वन
अधिकार समिति की सिफरिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के
प्रस्तावों के साथ समस्त दस्तावेजों के अध्ययन तथा उन पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न
लिखित प्रस्तावित दावा नियमानुसार सही पाया गया।

क्र0स0.....पात्र गांव वासी का नाम...जंगल...जंगल का नाम Summa ogle वन अधिकार का ब्यौरा
तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्र0स0.....पात्र गांव वासी का नाम

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्र0स0

पात्र गांव वासी का नाम

1

2

तदनुसार ग्राम सभा द्वारा इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा/सभी की वनअधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार..... जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान...जंगल/ogle

दिनांक...15/12/2016

ग्राम वासियों के नाम जिन्होंने वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है

अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता

ग्राम सभा.



PRADHAN

GRAM

SECY

.....प्राजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण)अधिनियम 1980 के अन्तर्गत
वन भूमि के उपयोग को अनुमति दी जानी है।

जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या... (5)

दिनांक... 15-12-2016

वन अधिकार समिति, ग्राम सभा जिलावा (ग्राम) की बैठक आज दिनांक... 15-12-2016 को... 10-45 बजे स्थान जिलावा में श्री/श्रीमती देवीदास हिमराज की अध्यक्षता में की गई जिसमें... 7/7 गांव/गावों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत... U-13 (Summa ogli) जंगल/वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें... Revenue Training Center Talog के निर्माण के लिए... 00-03-75 हैक्टेयर वन के उपयोग भूमि की मजूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची कि श्री/श्रीमती देवीदास हिमराज जंगल/वन क्षेत्र में... U-13 Summa ogli के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। तदनुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है/तदनुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

स्थान... जिलावा

दिनांक... 15-12-2016

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
ग्राम विकास समिति
ग्राम पंचायत... 18

.....प्राजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग को अनुमति दी जानी है।

Joint Inspection Report

309

38

The Joint inspection on dated 05/07/2016 of Government land comprising in Khasra No. 323/3 measuring 00-03-75 hec. Of mauza Tharu Sub Tehsil Jalog Distt. Shimla (Rural) proposed for C/O Revenue Training centers at Jalog (Tharu). The land is classified as Charagah Darkhtan in the revenue record exists upon the proposed land and no path, no trees Green/ Dray thereupon. The said land found fit for the purpose. There is no water resource, religious place, public, common path, cremation ground, etc. on the proposed land. There is no alternative non forest land available for the above purpose.

Sub Divisional Officer
Shimla (Rural) H.P.

Tehsildar / Naib Tehsildar
Tehsil Suni District Shimla

Assistant Engineer
H.P.P.W.D. Sub Division

Range Forest Officer
Bhajji Forest Range
Range Officer
Forest Range Bhajji Sunni

Divisional Forest Officer
Forest Division Shimla

B. D. Timni

VILLAGES LIKELY TO BE BENEFITTED DIRECTLY FROM THE PROPOSAL

Name of work: - C/O Revenue Training Centre at Jalog Sub Tehsil Jalog.

It is certified that total six panchayats come under the jurisdiction of Sub Tehsil Jalog. Total population of all villages are about 25000. Thus 25000 general public of six panchayats will be directly benefited by this Revenue Training centre Cum Sub Tehsil Jalog at Jalog.


Naib Tehsildar Jalog
Sub Tehsil Jalog

No. WLM- 102/ 3613
H.P. Forest Department,

Dated Shimla, the 28-10-2021

From :

Dy. Conservator of Forests,
Wildlife Division, Shimla.

To,

Naib Tehsildar,
Sub. Tehsil Jalog.

Subject:

Reg. Issuance of Aerial distance Certificate (Eco Sensitive
Zone) of proposed Building of revenue Training Centre , Sub
Tehsil Jalog, Distt. Shimla.


Sir,

Kindly refer to your office letter N.T. Jalog 4.1(161) 16/
1108 dated 7.10.2021 on the subject cited above.

2. As per report sent by Range Forest Officer of this Division the
aerial distance of the proposed above site is approx. 14.93 km. from Wildlife
Sanctuary and the aerial distance from Eco Sensitive is approx. is 14.38 km . there
will be no such negative impact on the Wildlife Sanctuary, thus this Division has no
objection for construction of proposed building of revenue Training Centre.

This is for favour of your kind information and further
necessary action please.

Yours sincerely,


Dy. Conservator of Forests,
Wildlife Division, Shimla.

